न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 413/2026 एवं 425/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 345/2017

---

1. अविनाश कुमार उर्फ झुन्नी कुमार, पिता–स्व0 सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष,
2. गोलू कुमार, पिता–श्री विजय सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष,

साकिन–बेढ़ना (बुजरुक/डीह पर) वार्ड नं0 6, थाना–बाढ़, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री संजीव कुमार एवं अर्जुन सिंह
सूचक की ओर से से विद्वान अधिवक्ता :– श्री कुन्दन कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

26.05.2026 आवेदक अभियुक्त 1. अविनाश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन सं0 413/2026 तथा आवेदक अभियुक्त 2. गोलू कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन सं0 425/2026, धारा 438(2) दं.प्र.सं. के तहत् अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 345/2017, अंतर्गत धारा 341, 323, 307/34 भा.द.वि. से सम्बंधित है। उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत आवेदन का आदेश संयुक्त रुप से पारित किया जाता है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तों को धारा 307 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तार होने की आशंका है। इस वाद के मुख्य आरोपी शिवन कुमार को नवालिग घोषित किया गया है। सूचक इस वाद में समझौता कर लिया है और समझौता पत्र भी दाखिल किया है और न्यायालय में उपस्थित होकर समझौता का समर्थन करने के लिए तैयार है। आवेदक अभियुक्त अविनाश कुमार के विरुद्ध एकमात्र आपराधिक मामले लंबित है, जिसमें वह जमानत पर है, जबकि आवेदक गोलू कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक बमबम सिंह हैं। सूचक दिनांक 14.11.2017 को शाम 7 बजे अपने घर के पास था तो अभियुक्तगण हथियार से लैश होकर पहुंचे और पहुंचते ही शिवम कुमार बोला साले को जान से मार दो। जान से मारने के नियत से सभी लाठी, डंडा एवं बेल्ट से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया। सूचक के आंख, सिर, दोनों हाथ, पैर, कमर एवं पूरा शरीर में जख्म है। शिवम कुमार पिस्तौल सटाकर तीन हजार रुपया छीन लिया। इसी बीच अगल–बगल एवं परिवार के लोग आये तो सूचक का जान बचा और ईलाज हेतू बाढ़ अस्पताल लाये।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 413/2026 एवं 425/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 345/2017

लगातार
26.05.2026

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभियुक्तों पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक बमबम सिंह को लाठी–डंडा व बेल्ट से मारपीट कर जख्मी कर देने एवं तीन हजार रुपया शिव कुमार द्वारा ले लेने की बात कही गई है। प्राप्त कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी बमबम सिंह तथा पारा–3 एवं 4 में साक्षी गंगा सिंह एवं शकुन्तला देवी ने अपने बयान में अभियुक्तों द्वारा सूचक को मारपीटकर जख्मी कर देने की बात कही गई है। कांड दैनिकी में अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का वर्णन नहीं है, परन्तु विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिये गये आवेदन में अभियुक्त अविनाश कुमार के विरुद्ध एक वाद लंबित होने, जिसमें उसके जमानत पर होने की बात कही गई है। आवेदक अभियुक्त गोलू कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह घटना दिनांक 14.11.17 की है तथा प्राथमिकी दिनांक 15.11.17 को दर्ज करायी गई है। 9 वर्षों के बाद भी अभी तक इस मामले में अनुसंधान लंबित है। उभय पक्षों की ओर से संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित सुलहनामा दाखिल किया गया है तथा उभय पक्षों के बीच मेल हो जाने की बात कही गई है। अभिलेख पर भी पूर्व से अन्य सह अभियुक्तों के साथ दाखिल सुलहनामा संलग्न है।

संपूर्ण वाद के तथ्यों व परिस्थितियों एवं सुलहनामा के स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त 1. अविनाश कुमार एवं 2. गोलू कुमार को आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ